भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **855**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

आयातित उर्वरकों का मूल्य

855. श्री राम प्रसाद चौधरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में आयात की गई उर्वरकों की मात्रा और मूल्य का उर्वरक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उर्वरकों के आयात पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या देश में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को बुआई के मौसम के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2021-2022 से 2023-2024 तक आयातित यूरिया की मात्रा और कीमत का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**आयात मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)**	**मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)**
2021-2022	91.36	6,041.06
2022-2023	75.80	4,751.29
2023-2024	70.42	2,608.31

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि सभी पीएण्डके उर्वरक पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आते हैं। कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य शर्तों पर इनका आयात किया जाता है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक देश में आयातित पीएण्डके (डीएपी, एमओपी और एनपीके) उर्वरकों की मात्रा (कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) निम्न तालिका में दी गई है:

<मात्रा लाख मीट्रिक टन में>

वित्तीय वर्ष	डीएपी	एनपीके	एमओपी*
	कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार		
2021-2022	54.62	11.70	24.60
2022-2023	65.83	27.52	18.66
2023-2024	55.67	22.17	28.69

* एमओपी में औद्योगिक और कृषि दोनों उपयोग शामिल हैं.

(ख): देश में यूरिया की स्वदेशी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने फटलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) और तालचेर (ओडिशा) इकाइयों और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के माध्यम से 12.7 एलएमटीपीए क्षमता के नए अमोनिया-यूरिया संयंत्रों की स्थापना के लिए अधिदेशित किया है। रामागुंडम और गोरखपुर इकाइयों को क्रमशः 22.03.2021 और 07.12.2021 को चालू किया गया है। इसके अलावा, बरौनी और सिंदरी इकाइयों ने क्रमशः 18.10.2022 और 05.11.2022 को यूरिया उत्पादन शुरू कर दिया। इन चार संयंत्रों ने देश में स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में प्रति वर्ष 50.8 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की है और यूरिया की आयात निर्भरता को कम करने में मदद की है।

सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक-तत्व के आधार पर वार्षिक/द्विवार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। पीएण्डके क्षेत्र नियंत्रणमुक्त है और उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करती हैं।

उर्वरकों के आयात को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) शीरे से प्राप्त पोटाश(पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, को पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है जो एमओपी का विकल्प है और 100% आयातित है।

(ii) एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है पर माल भाड़ा सब्सिडी, को मृदा में फास्फेटयुक्त या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से लागू है।

(ग) और (घ): चालू रबी 2024-25 मौसम के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों के लिए उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और समापन स्टॉक के संबंध में डेटा **अनुलग्नक-क** में दिए गए है।

****

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 855 के भाग (ग) और (घ) से संबंधित है।

रबी 2024-25 के दौरान उर्वरकों की स्थिति (25.11.24 तक)

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया					डीएपी				
क्र.सं.	**राज्य**	**रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक यथानुपातित आवश्यकता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक उपलब्धता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक संचयी डीबीटी बिक्री**	**25/11/2024 को समापन स्टॉक**	**रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक यथानुपातिक आवश्यकता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक उपलब्धता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक संचयी डीबीटी बिक्री**	**25/11/2024 को समापन स्टॉक**
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.40	2.31	5.06	2.13	2.92	2.00	0.75	1.45	0.87	0.60
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	0.69	1.23	0.50	0.74	0.25	0.11	0.23	0.14	0.00
5	बिहार	13.00	4.13	7.32	2.33	5.01	3.00	1.59	2.00	1.31	0.72
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	2.40	1.22	1.89	0.37	1.51	0.70	0.42	0.43	0.14	0.29
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.00	0.10	0.06	0.04	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01
11	गोवा	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	13.75	5.30	5.43	3.19	2.24	2.75	1.67	1.90	1.57	0.34
13	हरियाणा	11.20	4.53	7.65	4.08	3.56	2.60	2.07	2.36	2.16	0.21
14	हिमाचल प्रदेश	0.37	0.08	0.16	0.06	0.10	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	0.70	0.07	0.40	0.07	0.33	0.25	0.06	0.19	0.07	0.12
16	झारखंड	1.00	0.32	1.02	0.28	0.74	0.25	0.13	0.27	0.11	0.15
17	कर्नाटक	6.50	2.11	5.62	2.13	3.53	1.74	0.62	1.05	0.54	0.53
18	केरल	0.57	0.23	0.44	0.27	0.17	0.07	0.02	0.06	0.05	0.01
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	20.00	11.83	12.96	8.64	4.30	8.00	5.42	4.43	3.32	1.10
21	महाराष्ट्र	10.00	2.00	8.74	2.57	6.15	2.50	0.70	1.68	0.75	0.93
22	मणिपुर	0.10	0.03	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.01	0.00	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.85	0.38	1.81	0.46	1.33	0.70	0.11	0.36	0.12	0.24
27	पुदुचेरी	0.09	0.03	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
28	पंजाब	15.00	7.54	8.83	4.09	4.70	4.50	3.96	3.46	2.82	0.62
29	राजस्थान	15.00	8.52	9.60	6.57	3.03	3.00	2.63	2.77	2.30	0.48
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.00	2.77	4.22	2.45	1.79	1.30	0.60	1.02	0.63	0.40
32	तेलंगाना	9.80	3.12	5.00	1.24	3.78	1.50	0.55	0.69	0.34	0.35
33	त्रिपुरा	0.10	0.02	0.11	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
34	उत्तराखंड	1.03	0.30	0.47	0.19	0.28	0.15	0.10	0.25	0.13	0.12
35	उत्तर प्रदेश	39.00	10.83	23.33	7.54	15.79	15.00	10.00	8.82	6.97	1.87
36	पश्चिम बंगाल	8.20	2.27	5.47	1.61	3.79	1.75	0.62	1.02	0.50	0.56
	अखिल भारत	**186.89**	**70.63**	**116.98**	**50.91**	**66.01**	**52.05**	**32.13**	**34.50**	**24.89**	**9.75**

*** सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता**

**** सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री**

रबी 2024-25 के दौरान उर्वरकों की स्थिति (25.11.24 तक)

आंकड़े एलएमटी में

		एमओपी					एनपीकेएस				
क्र.सं.	**राज्य**	**रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक यथापुपातित आवश्यकता**	**01/10/2024 तक 25/11/2024 तक उपलब्धता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक संचयी डीबीटी बिक्री**	**25/11/2024 को समापन स्टॉक**	**रबी 2024-25 के लिए मौसमी आवश्यकता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक यथानुपातिक आवश्यकता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक उपलब्धता**	**01/10/2024 से 25/11/2024 तक संचयी डीबीटी बिक्री**	**25/11/2024 को समापन स्टॉक**
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.80	0.37	0.82	0.30	0.51	9.00	3.54	6.42	3.23	3.35
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.28	0.13	0.14	0.04	0.09	0.35	0.16	0.20	0.08	0.12
5	बिहार	1.15	0.68	1.27	0.51	0.77	4.00	2.57	2.90	1.34	1.60
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.15	0.08	0.31	0.03	0.28	0.60	0.31	0.39	0.08	0.31
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	#एनए	0.00	0.00	0.00	0.00	# एनए	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	0.64	0.33	0.60	0.31	0.30	4.00	1.83	3.30	2.19	1.12
13	हरियाणा	0.30	0.09	0.39	0.10	0.28	1.20	0.50	0.72	0.56	0.16
14	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.01	0.02	0.00	0.01	0.21	0.08	0.16	0.06	0.09
15	जम्मू और कश्मीर	0.13	0.02	0.04	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
16	झारखंड	0.03	0.02	0.03	0.00	0.02	0.30	0.18	0.28	0.09	0.19
17	कर्नाटक	0.65	0.24	0.99	0.32	0.69	6.30	1.73	6.33	2.82	3.56
18	केरल	0.40	0.17	0.36	0.21	0.14	0.60	0.24	0.47	0.32	0.16
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	0.60	0.28	0.83	0.34	0.50	6.00	3.25	4.66	3.69	0.98
21	महाराष्ट्र	1.00	0.24	1.21	0.27	0.95	12.00	3.36	8.18	3.17	5.03
22	मणिपुर	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.25	0.06	0.26	0.05	0.21	0.75	0.13	0.72	0.17	0.56
27	पुदुचेरी	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.01	0.04	0.02	0.02
28	पंजाब	0.50	0.28	0.52	0.18	0.34	1.50	1.13	0.99	0.66	0.32
29	राजस्थान	0.10	0.05	0.16	0.08	0.08	1.50	1.20	1.61	1.27	0.34
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	1.20	0.49	0.81	0.37	0.44	6.00	2.59	3.08	1.90	1.21
32	तेलंगाना	0.70	0.23	0.46	0.15	0.32	7.00	2.42	3.63	1.35	2.44
33	त्रिपुरा	0.02	0.00	0.05	0.01	0.04	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
34	उत्तराखंड	0.05	0.03	0.06	0.01	0.05	0.20	0.09	0.08	0.07	0.01
35	उत्तर प्रदेश	1.25	0.85	1.55	0.82	0.73	8.50	5.75	6.26	4.79	1.52
36	पश्चिम बंगाल	1.70	0.62	1.26	0.39	0.88	7.00	3.19	4.23	1.80	2.45
	अखिल भारत	**11.95**	**5.26**	**12.15**	**4.50**	**7.69**	**77.10**	**34.27**	**54.66**	**29.65**	**25.58**

*****